

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ-४(ई)गा / एपीओ/अलेसे-गा / ५३६१-२/३६७

दिनांक: ११-७-१४

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित लेखाकर्मी की उनके नाम के सामने अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम ७(८)(बी)(गा) के अन्तर्गत वित्त विभाग के पत्रांक एफ-२(२५)वित्त/राजस्व/२०१० दिनांक ०४.०७.२०१४ द्वारा नियमित कर वेतन आहरण कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की है। अतः आदेशों की प्रतीक्षा अवधि का वेतन भुगतान कॉलम संख्या ४ में अंकित विभाग/कार्यालय से किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है:—

क्र.सं	नाम लेखाकर्मी सर्वश्री	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि जो नियमित की गई		विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन का भुगतान किया जावेगा
		कब	से कब तक	
1	2	3	4	

सहायक लेखाधिकारी

१	विहारी लाल शर्मा	१७.०५.१४ से २८.०५.१४	निरीक्षण विभाग, जयपुर
---	------------------	----------------------	-----------------------



(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक: एफ-४(ई)गा / एपीओ/अलेसे-गा / ५३६१-२/३६७

दिनांक: ११-७-१४

प्रतिलिपि— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

१. निदेशक, निरीक्षण विभाग, वित्त भवन राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख हैं कि सम्बन्धित लेखाकर्मी का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार ही आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावें।
२. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पीपराली, सीकर
३. कोषाधिकारी, सीकर
४. ए.सी.पी(उपनिदेशक(आईटी)) वित्त भवन, कार्यालय हाजा जयपुर को आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
५. सहायक निदेशक,(कॉडर) मय अतिरिक्त प्रति निजी पत्रावली हेतु
६. श्री विहारी लाल शर्मा, सहायक लेखाधिकारी, निरीक्षण विभाग, भौतिक सत्यापन दल, सीकर द्वारा— कोषाधिकारी, सीकर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपना गत भुगतान प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग / कार्यालय को प्रस्तुत करें एवं प्राप्त भुगतान की सूचना भिजवावें।
७. निजी सहायक, निदेशक
८. निजी पत्रावली


(डॉ अर्विन्द मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-गा)